न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या 174 सन् 2021

ठा0 केशव देव जी महाराज बनाम सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

श्रीमान् जी ,

निवेदन है कि वादी संख्या 2 मुकदमा हाजा का है तथा प्रतिवादी संख्या 2 मुकद्मा हाजा मे हाजिर हो चुका है दिनांक 23.5.2022 को वादी सख्या 2 कचहरी आया हुआ था और अपना कार्य कर रात्रि लगभग 10 बजे गोवर्धन के लिये लौट रहा था तभी दो अज्ञात बाईक सवार वालो ने जिन पर तीन तीन लोग बैठे थे वादी संख्या 2 को रोकने का प्रयास किया लेकिन वादी संख्या 2 जैसे तैसे गाडी तेज चलाकर भगा ले गया और जान बचायी ।

दिनांक 25.5.2022 को मुकदमें के सिलसिले में विचार विमर्श को आया हुआ था और उसे मथुरा में रात ज्यादा हो गयी तो वादी संख्या 2 जन्म भूमि के पास एक मित्र के यहां ठहर गया और वादी नींद में सोया हुआ था तो सुबह के लगभग 4.30 बजे जोर जोर से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज आयी जिससे वादी की नींद टूट गयी फिर वादी को नींद नही आयी और नींद पूरी न होने पर आंखो में जलन होने लगी और वादी सख्या 2 की दिनचर्या खराब हो गयी वादी सख्या 2 के मित्र व परिवार वालों ने आस पास वालों से पूछताछ

श्रीमान जी, प्रतिवादी वकील साहब श्री तनवीर अहमद जी को [illegible] दि० 31.5.2022 [illegible] हो [illegible] 26/5/2022

WWW.LIVELAW.IN

करने पर बताया कि जल्द सुबह जोर की आवाज/लाउडस्पीकर से अजान होती है जिससे पडौसियो के मौलिक अधिकारो का हनन हो रहा है जबकि कथित ईदगाह ठाकुर जी का गर्भगृह है और अजान नही होनी चाहिये । लाउडस्पीकर से अजान होने पर वादी संख्या 2 के हिन्दू सनातनी होने के नाते संविधान में प्रदत्त अधिकारो का हनन हो रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दौरान मुकदमा वर्जित किया जावे कि वे सुबह के 4.30 बजे के आस पास लाउडस्पीकर से अजान न करें और जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से लाउडस्पीकर को बन्द कराया जावे ।

दिनांक 26.5.2022

प्रार्थी– वादीगण

द्वारा–एडवोकेट

WWW.LIVELAW.IN